भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2000

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

डायरिया के मामले

2000. श्री नरेश गणपत म्हस्केः

डॉ.श्रीकांत एकनाथ शिंदेः

श्री प्रवीण पटेल:

श्रीमती दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:

श्री हरीभाई पटेल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा डायरिया के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए क्या विशिष्ट पहल की गई हैं और इसके प्रमुख उद्देश्य और कार्यनीतियां क्या हैं;

(ख) लक्षित क्षेत्रों में डायरिया के मामलों को कम करने में इन पहलों के प्रभाव के संबंध में वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) इस अभियान में अन्य सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) इस अभियान के भाग के रूप में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ जल और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कार्यान्वित किए गए हैं; और

(ड) क्या सरकार की देश में डायरिया के विरुद्ध अभियान का विस्तार करने और इसमें वृद्धि करने की कोई भावी योजनाएं हैं और यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्याशित परिणामों और समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आर्पूति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और स्कूल शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर 'स्टॉप डायरिया अभियान' के रूप में डायरिया अभियान शुरू किया है, जिसका नारा 'डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखना अपना ध्यान' है। यह अभियान 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है और इसका समापन 31अगस्त, 2024 को होगा। इस अभियान में डायरिया के पीक सीजन को कवर किया गया है जिसमें रक्षा, रोकथाम और उपचार कार्यनीति के पहलुओं को शामिल किया गया है।

स्टॉप डायरिया अभियान में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डायरिया से निर्जलीकरण के कारण होने वाली मौतों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अभियान अवधि के दौरान गहन तरीके से कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं। इन कार्यकलापों में विभिन्न विभागों के अंतर-अभिसरण का उपयोग करते हुए डायरिया प्रबंधन के लिए सहायता और जागरूकता सृजन कार्यकलापों में तेजी लाना, डायरिया रोगी प्रबंधन के लिए सेवा प्रावधान को सुदृढ़ करना, ओआरएस-जिंक कॉर्नर की स्थापना, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशाकर्मियों) द्वारा परिवारों को ओआरएस और जिंक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराना शामिल हैं ।

ये कार्यकलाप स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों, समुदायों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में संबंधित कार्यकर्ताओं द्वारा परस्पर समन्वय से किए जाते हैं ताकि अंतिम चरण तक अधिकतम प्रभाव और कवरेज प्राप्त की जा सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डायरिया प्रबंधन कार्यकलापों का निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर अंतरक्षेत्रीय समन्वय और सहयोग हेतु तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। यह अभियान चल रहा है, कोई प्रभाव विश्लेषण उपलब्ध नहीं है।

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक महत्वपूर्ण निगरानी कार्यक्रम है जो देश में रोग निगरानी से संबंधित है। आईडीएसपी सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है। यह कार्यक्रम डायरिया सहित 33 से अधिक महामारी प्रवण रोगों की निगरानी के लिए उत्तरदायी है।

(घ) अभियान के भाग के रूप में स्वच्छ जल और बेहतर स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय **अनुलग्नक** में हैं।

(ङ) सरकार डायरिया निवारण, उपचार और प्रबंधन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

****

अनुलग्नक

डायरिया के मामलों के संबंध में दिनांक 02.08.2024 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2000 के उत्तर में संदर्भित विवरण:

इस अभियान के हिस्से के रूप में स्वच्छ पानी और बेहतर स्वच्छता सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

- आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों और सामुदायिक शौचालयों में स्वच्छ और फंक्शनल शौचालयों की उपलब्धता का आकलन करने संबंधी अभियान चलाना,
- आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों और सामुदायिक शौचालयों में 24x7 पानी की सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जल परीक्षण का आकलन करने संबंधी योजना का विकास करना,
- विशेष स्वच्छता अभियान – खुले में कचरा डंपिंग को रोकने, अधिकतर कचरा फैंके जाने वाले स्थानों को साफ करने, स्थिर पानी और नालियों को हटाने, नाली से गाद निकालने, बाजारों, खाद्य वेंडिंग जोन, शहरी मलिन बस्तियों/अनौपचारिक बस्तियों आदि पर विशेष ध्यान देने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाएं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गहन अभियानों की योजना बनाएं।
- कचरा एकत्रण और परिवहन- दैनिक आधार पर कचरे के निर्बाध एकत्रण और कचरा- प्रसंस्करण संयंत्रों तक परिवहन के लिए योजना बनाएं । अधिक वर्षा की स्थिति में सुविधाओं के प्रबंधन के लिए विशेष योजना बनाई जाए।
- सभी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई - शहरी मलिन बस्तियों और अनौपचारिक बस्तियों में विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की सफाई और रखरखाव के सावधानीपूर्वक अभियान की योजना बनाना और संचालन करना। पानी की उपलब्धता और हाथ धोने की सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए।
- सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति और जल कार्यों का रखरखाव- सभी शहरों में स्वच्छ पानी की निर्बाध आपूर्ति, जल कार्यों की आवश्यक मरम्मत और रखरखाव, पानी के ओवरहेड टैंकों और संबंधित अवसंरचना की सफाई और रखरखाव, एएमआरयूटी के साथ अभिसरण में जल पुनर्चक्रण आदि के लिए एसटीपी के सही प्रकार से कार्यात्मक होने संबंधी योजना बनाना।
- आईईसी /बीसीसी गतिविधियों और मीडिया (समाचार पत्र, सोशल मीडिया, टीवी/रेडियो चैनल) की भागीदारी के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना ।
- स्वच्छता और साफ-सफाई संबंधी संदेशों को पुनःप्रचालित करने के लिए स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ भागीदारी करना ।

*****